न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 11 / 2023	2023 / 107	30.10.2023	16.10.2024

1– जगमाल पुत्र मल्लाराम जाति अहीर निवासी ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 05 / 2023 निर्णय दिनाक 23.06.2023

उपस्थित–
01. श्री ओमानन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 05 / 2023 निर्णय दिनांक 23.06.2023 जिसके द्वारा आराजी खसरा 216 रकबा 0.11 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.01 है0 में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बैदखली / पैलन्टी की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया [redacted] तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि ग्राम बावद तहसील मुण्डावर की चारागाह आराजी खसरा न0 216 रकबा 0.11 है0 में से रकबा 0.01 है0 पर मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये मिन अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की गयी है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किये अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट के पिता मल्लाराम पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर को सन 1974 में 3 बिस्वा आराजी खसरा न0 174 में कब्जे के आधार पर गैरमुमकीन गुवाडे के रूप में आंवटन की गयी थी, जिसका पटटा संख्या 41 जारी किया गया। जिसकी प्रति अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। आराजी खसरा न0 साबिक 56 हाल आराजी खसरा न0 71 से लगता हुआ, साबिक आराजी खसरा न0 174 सरकारी भूमि रही है। खसरा न0 हाल 71 के काश्तकार मल्लाराम, प्रभाती, मक्खन, सोलू पुत्रान रामलाल ने अपनी आराजी से लगते हुये खसरा न0 174 पर ईधन, कुडी डालकर कब्जा कर रखा था, कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के पिता मल्लाराम एवं प्रभाती, मक्खन, सोलू को तीन–तीन बिस्वा भूमि गैरमुमकिन गुवाडे के रूप में आंवटन कर दिया एवं मल्लाराम व प्रभाती को 6 बिस्वा भूमि पृथक से आंवटन किया गया था। कुल 18 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया। उक्त भूमि में से 12 बिस्वा भूमि का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया, एवं 6 बिस्वा के इन्तकाल दर्ज करने के आदेश हो गये। लेकिन अब विवाद होने पर जानकारी ली तो उक्त इतकाल का अमल राजस्व रिकार्ड में नही आना पाया गया। जिसकी कार्यवाही पृथक से की जावेगी। मिन अपीलान्ट उक्त आंवटनशुदा जायदाद पर पूर्वजो के फुटस पर काबिज है, [redacted] भूमि खसरा न0 साबिक 56 व हाल 71 की पूर्वी डोल से लगती हुयी, स्माल पटटी के रूप में आंवटन किया गया था। स्माल पटटी के रूप में आंवटन नियमो के अनुसार खातेदारी की आराजी से चिपती हुयी भूमि का ही आंवटन किया जाता है, इस लिये आंवटित भूमि एवं अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि के बीच दीगर भूखण्ड होने की उपधारणा नही की जा सकती है। वर्तमान में सग्रीगेसन द्वारा गलत तितम्बा काटने के परिणामस्वरूप आराजी खसरा न0 216 का गलत अंकन किया गया है। गलत अंकन के आधार पर किये गये इन्द्राज से अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरित प्रभाव पडते है। अपीलान्ट के आराजी खसरा न0 71 / 2 का नक्शा सम्पूर्ण रकबे के मुकाबले छोटा बना दिया और उक्त घटाया गया परिणाम खसरा न0 216 में जोडा गया है। सग्रीगेसन द्वारा की गयी गलती

अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

को चुनोती देते हुये अपीलान्ट ने नियमित वाद बअनुवानी जगमाल बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहाँ दायर किया गया है, उक्त वाद में स्थगन आदेश जारी इस अमर का कर रखा है, कि आराजी खसरा न0 71 व 216 में अपीलान्ट जगमाल के उपयोग में मजाहमत पैदा न करे। जिसकी प्रति तहत अदालत के समक्ष पेश की गया था, किन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया गया। पूर्व में मल्लाराम, प्रभाती,मक्खन, सोलू ने आंवटन प्लाटो के रास्ते बाबत ग्राम पंचायत बावद तहसील मुण्डावर में प्रार्थना पत्र पेश किया था। ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखकर मय नक्शा निर्णय किया कि आंवटनशुदा गैरमुमकिन गुवाडे के पूर्व से 10 फुट का रास्ता रहेगा। पक्षकारान के दरवाजे 10 फुट के रास्ते में पूर्व दिशा में रहेगे। जिसकी प्रति पेश की गयी थी, किन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया गया। उक्त निर्णय में गैरमुमकिन गुवाडे (आंवटित भूमि) के पश्चिम में आराजी सोलू वगै0 की दर्शायी गयी है। परन्तु तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया है। सिविल वाद में मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भूपेश चौधरी एड0 ने दिनाक 08.11.2020 को विवादित आंवटित भूमि के पश्चिम मे आराजी भूपसिंह पुत्र सोलू मकान जगमाल अपीलान्ट के होना अंकित किया है। अर्थात मौके पर कोई रास्ता कायम नही है, सैटलमेंट विभाग ने गलत रास्ता निकाला है, जिसे दुरूस्ती बाबत सक्षम न्यायालय में वाद किया हुआ है। गलत इन्दाज के आधार पर अपीलान्ट को बेदखल नही किया जा सकता है। तहत अदालत के समक्ष आर. आर. डी. 2003 पेज 76, आर. आर. डी 1994 पेज 141, आर. आर. डी 95 पेज 764, आर. आर. डी 1980 पेज 214 की नजिरे पेश की गयी। किन्तु तहत अदालत के द्वारा गौर नही किया गया। जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनाक 23.06.2023 को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहाँ एक राजस्व वाद संख्या 57 दिनाक 19.04.2023 बउनवान जगमाल वगै0 बनाम सरकार इशतकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है, उनवानी प्रकरण वादी द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज की दुरूस्ती किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुण्डावर के यहा विचाराधीन चल रहा है। जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, तो ऐसे प्रकरणो में कार्यवाही कर निस्तारित किये जाने में न्यायालय का निर्णय प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 57 दिनाक 19.04.2023 बउनवान जगमाल वगै0 बनाम सरकार इशतकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण होने के उपरान्त प्रकरण में पुनः विधिसमत कार्यवाही की जावें। तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2023 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमांड की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/24

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)